भारत सरकार
पंचायती राज मंतालय
राज सभा
आतारांकित प्रश्न संख्या 2161
दिनांक 19 .03.2025 को उत्तरार्थ

पंचायत राज संस्थाओं में चुनौतियाँ

2161 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय के निदेश पर गठित सलाहकार समिति ने पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) में छद्म नेतृत्व पर अंकुश लगाने के लिए उपाय सुझाए हैं, और यदि हां, तो इन सिफारिशों को लागू करने में देरी के क्या कारण हैं और इनके लागू होने की समय-सीमा क्या है;

(ख) सरकार ने पीआरआई में पति पंचायतों की चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि 13वें वित्त आयोग से 15वें वित्त आयोग में स्थानीय निकायों के लिए अनबद्ध अनुदान में उल्लेखनीय कमी आई है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(प्रोफ. एस . पी . सिंह बघेल)

(क) और (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, पंचायती राज मंत्रालय ने सितंबर 2023 में महिला प्रधानों का प्रतिनिधित्व उनके परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा किए जाने के मुद्दे की जांच करने और उससे संबंधित अन्य मुद्दों की भी जांच करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है। समिति ने फरवरी 2025 में सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

सलाहकार समिति ने सिफारिश की कि राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई) में प्रॉक्सी नेतृत्व को खत्म करने के लिए आवश्यक उपाय करें। चूंकि, समिति ने फरवरी 2025 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, इसलिए कोई देरी नहीं हुई है। इसके अलावा, समिति ने इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई विशिष्ट समयसीमा निर्धारित नहीं की है।

चूंकि 'पंचायतें' राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, इसलिए महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यू. ई. आर.) की जिम्मेदारियों में पुरुष हस्तक्षेप से संबंधित शिकायतों को शिकायत निवारण के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को इस तरह के हस्तक्षेप को रोकने और पंचायती राज शासन में डब्ल्यू. ई. आर. की

स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए परामर्शिकाएं जारी किया है।

मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य महिला सरपंचों, कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों (ई. आर.) को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थानों (पी. आर. आई.) को मजबूत करना है। इस पहल का उद्देश्य उनकी शासन क्षमताओं और नेतृत्व कौशल को बढ़ाना है, जिससे पंचायतें प्रभावी ढंग से काम कर सकें। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व पर केंद्रित कार्यशालाओं, सम्मेलनों, समितियों और विशेषज्ञ समूहों के माध्यम से महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यू. ई. आर.) के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। इन बातचीत से और विशेषज्ञ समूहों की सिफारिशों से प्राप्त जानकारी को, इस मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर जारी की जाने वाली परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्य सरकारों को सूचित किया जाता है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यू.ईआर) की क्षमता निर्माण के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने हेतु एक नॉलेज पार्टनर के रूप में ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (टी.आर.आई) के साथ साझेदारी की है। यह पहल उनके नेतृत्व और प्रबंधकीय कौशल को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

लिंग-समावेशी शासन को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (एल. एस. जी.) के थीम 9 के तहत चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायतों (एम. डब्ल्यू. एफ. जी. पी.) में बदलने के प्रयास भी शुरू किए हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस परिवर्तन के लिए प्रति जिला एक ग्राम पंचायत की पहचान की है। एक नॉलेज पार्टनर के रूप में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यू. एन. एफ. पी. ए.) के सहयोग से, मंत्रालय प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कर रहा है और मास्टर प्रशिक्षकों के एक कैडर को भी प्रशिक्षित कर रहा है। इस प्रयास का उद्देश्य महिला-अनुकूल शासन को बढ़ावा देना और ग्रामीण शासन संरचनाओं में महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने के लिए जमीनी स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ई. आर.) और पंचायती राज कार्यकर्ताओं (पी. आर. एफ.) की क्षमता का निर्माण करना है।

(ग) ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान को 13वें वित्त आयोग से 15वें वित्त आयोग के अनुदान तक लगातार बढ़ाया जा रहा है। 13वें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2010-15) के तहत आवंटन 65160 करोड़ रुपये था और 15वें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2021-26) के तहत आवंटन 65160 करोड़ रुपये है। 236805 करोड़ रुपये जो 13वें वित्त आयोग के आवंटन का लगभग 4 गुना है।

***